

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 सितम्बर 2014—भाद्र 17, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-30-2014-1-पांच (46).—यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उन लंबित अपील प्रकरणों का, जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन आते हैं और जो लिपिकीय त्रुटि के कारण कालावरोधित हो चुके हैं लंबित हैं, निपटारा करने के लिये कालावधि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 46 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सूची में दर्शाए गए व्यापारियों की ऐसी प्रत्येक अपील कार्यवाही, जो ऐसी अपील फाईल करने की तारीख से बारह कलेंडर मास के भीतर नहीं निपटाई जा सकती है, के निपटारे के लिए कालावधि 31 अक्टूबर, 2014 तक बढ़ाती है:—

लंबित अपील प्रकरणों की सूची

अनुक्रमांक	अपीलार्थी का नाम व टिन	अपील प्रकरण क्रमांक तथा अधिनियम (जिसके अधीन अपील प्रकरण लंबित है)	कालावधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मेसर्स सूरजमल बिंजराज अग्रवाल, बुधबारा बाजार, खण्डवा, 2336200247.	114/केएनडब्ल्यू/09, वेट	20-5-2006
2	मेसर्स सूरजमल बिंजराज अग्रवाल, बुधबारा बाजार, खण्डवा, 2336200247.	115/केएनडब्ल्यू/09, वेट	20-6-2007
3	मेसर्स सूरजमल बिंजराज अग्रवाल, बुधबारा बाजार, खण्डवा, 2336200247.	23/केएनडब्ल्यू/09, प्रवेश कर	20-6-2007

(1)	(2)	(3)	(4)
4	मेसर्स के. बी. अग्रवाल, फार्मैसी, जसवाडी, रोड, खण्डवा 23652005762.	24/केएनडब्ल्यू/09, वेट	20-6-2007
5	मेसर्स के. बी. अग्रवाल, फार्मैसी, जसवाडी, रोड, खण्डवा, 23652005762.	24/केएनडब्ल्यू/09, प्रवेश कर	20-6-2007

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्र. एफ-ए-3-30-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-30-2014-1-पांच (46), दिनांक 8 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th September 2014

No. F-A-3-30-2014-1-V (46).—WHEREAS, the State Government is satisfied that due to the clerical mistake it is necessary to extend the period for disposal of appeal cases which are pending and timebarred falling under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976);

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 46 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby extend the period upto 31st October 2014 for the disposal of every appeal proceeding of the dealers shown in the list given below which could not be disposed of within twelve calendar months from the date of filing of such appeals:—

LIST OF PENDING APPEAL CASES

S. No.	Name and Tin of the Appellant	Appeal Case No. and Act (Under which are the appeal cases pending)	Period
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Ms. Surajmal Binraj Agrawal, Bhudwara Bazar, Khandwa, 2336200247.	114/KNW/09, VAT	20-5-2006
2.	Ms. Surajmal Binraj Agrawal, Bhudwara Bazar, Khandwa, 2336200247.	115/KNW/09, VAT	20-6-2007
3.	Ms. Surajmal Binraj Agrawal, Bhudwara Bazar, Khandwa, 2336200247.	23/KNW/09, Entry Tax	20-6-2007
4.	Ms. K.B. Agrawal Pharmacy, Jaswadi Road, Khandwa, 23652005762.	24/KNW/09, VAT	20-6-2007
5.	Ms. K.B. Agrawal Pharmacy, Jaswadi Road, Khandwa, 23652005762.	24/KNW/09, Entry Tax	20-6-2007

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.